

2025/403

निर्णय

फर्द अहकाम
(नियम 15)

02.7.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
जसवंत कुमार बनाम सोहनलाल आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 208 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
11.06.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">On</p>	
20.6.2025	<p>वकील वादी ने शर्जीना - पत्र मिनाल पेश पेश करने पर पत्रावली को पेश के जिफा गका पकुलार फरिक्तेन उपरिक्तेन वादी उपरिक्तेन को 1 ताप ने दखिल हकाबत अफर शर्जीनामा पेश किया जिसे काउ तस्वीक शर्जिल फरकिल डिफा गका। पत्रावली वाले अफर अफर-हा.रि.क.ता.दी.प 25.6.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">On</p>	<p style="text-align: right;">Sohan Lal Jagdish Munoo Lal Satoth 104 me Chandni</p>
25.6.2025	<p>पकुलार फरिक्तेन उपरिक्तेन अफर अफर-हा.रि.क.ता.दी.प 25.6.2025 को पेश हो। पत्रावली को पेश करने के अफर अफर-हा.रि.क.ता.दी.प 2.7.2025 को पेश हो।</p>	
2.7.2025	<p>पकुलार फरिक्तेन उपरिक्तेन अफर अफर-हा.रि.क.ता.दी.प 2.7.2025 को पेश हो। पत्रावली को पेश करने के अफर अफर-हा.रि.क.ता.दी.प 2.7.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">On</p>	